(1)

(55)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
(कक्ष–संयुक्त वन प्रबंधन/वन विकास अभिकरण)

क्रमांक / सं.व.प्र. / व.वि.अ. / 2323 भोपाल, दिनांक 18/12/07

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक (रा.उ.)
मध्य प्रदेश

विषयः– उत्कृष्ठ कार्य करने वाले वन कर्मचारी, वन समिति तथा वन समितियों के सदस्यों को पुरूस्कृत करने की योजना।

संदर्भः– म.प्र. शासन, वन विभाग का पत्र क्रं. / 4689 / 3293 / 2007 / 10–2 दिनांक 10.12.2007

––00––

विषयांकित में संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। पत्र में दिये गये निर्देशानुसार वन समिति, वन समितियों के सदस्य एवं वन कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु चयन समिति का गठन करें एवं वर्ष 2007–08 हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर वर्ष 2008–09 के बजट में पुरस्कार हेतु आवश्यक राशि की मांग पत्र सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें।

वन समितियों को प्रोत्साहित करने प्रत्येक वन मण्डल में एक उत्कृष्ठ समिति को पुरस्कृत किया जाना है। इस में क्षेत्रीय वन मण्डल के समितियों के अलावा समीपस्थ अभ्यारण्य/रा.उ. के ईको समितियों को भी सम्मिलित किया जावे एवं संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डल नोडल रहेगा।

वन कर्मचारी/अधिकारी को पुरस्कृत करने हेतु वन वृत्त के प्रशासनिक नियंत्रण के समस्त इकाईयों जैसे वन्य प्राणी अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान, अनुसंधान विस्तार, कार्य आयोजना, वन विद्यालय/महाविद्यालय, उत्पादन एवं क्षेत्रीय वन मण्डल आदि में पदस्थ समस्त कर्मचारी/अधिकारियों को सम्मिलित किया जावे। वन अधिकारियों के राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) को प्रेषित करें।

पुरस्कार हेतु पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें एवं वन मण्डलवार पुरस्कृत वन समिति एवं वन समितियों के सदस्यों की सूची तथा पुरस्कृत वन समिति द्वारा किये गये उत्कृष्ठ कार्यों के टीप के साथ इस कार्यालय को संलग्न प्रपत्र में भेजें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक
संयुक्त वन प्रबंधन/वन विकास अभिकरण
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्र. / स.व.प्र. / व.वि.अ. / 2324 भोपाल, दिनांक 18/12/07

प्रतिलिपिः–

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. को सूचनार्थ।

(2) समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया वर्ष 2007–08 के वन कर्मचारियों/अधिकारियों के पुरस्कार योजना का कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(4) समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2007–08 हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर अनुशंसा सहित वृत्त के अंतर्गत गठित चयन समिति के सदस्य सचिव को भेजें।

10538
22/12

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक
संयुक्त वन प्रबंधन/वन विकास अभिकरण
मध्य प्रदेश, भोपाल

वन संरक्षक (समन्वय)
मध्यप्रदेश, भोपाल
20/12

मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)
मध्यप्रदेश, भोपाल

C:\Ravi\Ravi\Letters\fda letters.doc

प्रपत्र–1

पुरस्कृत वन समिति की जानकारी

वन मण्डल का नाम	पुरस्कृत वन समिति का प्रकार	समिति का नाम	गठन दिनांक	अध्यक्ष का नाम	सचिव का नाम	पुरस्कृत करने का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–2

पुरस्कृत वन समिति सदस्यों की जानकारी

वन मण्डल/रा.उ. का नाम	पुरस्कृत समिति सदस्य का नाम			पुरस्कृत करने का दिनांक	रिमार्क
	वन सुरक्षा समिति सदस्य का नाम	ग्राम वन समिति सदस्य का नाम	ईको विकास समिति सदस्य का नाम		
1	2	3	4	5	6